

200



न्यायालय राजस्थान मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश निगो-1114-I/15

प्रकरण क्रमांक

सन्

1. हरप्रसाद तनय कंडी कुशाहा
2. कारेलाल तनय हर प्रसाद कुशाहा
3. शिम्भू तनय हर प्रसाद कुशाहा
4. बारीलाल तनय हर प्रसाद कुशाहा
5. रामेश्वर तनय हर प्रसाद कुशाहा
6. श्रीमती कट्टू बार्ड पुत्री परमसुख कुशाहा

निवासीया ग्राम पुधी तहसील जिला उत्तरपुर म०प्र०

निगरानीकर्ता

अनाम

1. श्रीमती रामबाई रफ़ रामवेदी पत्नी ठरुवा कुशाहा निवासी ग्राम पुधी तहसील जिला उत्तरपुर म०प्र०

2. शासन म०प्र०

निगरानीकर्ता

श्री. मुकेश मासि एडवोकेट  
द्वारा आज दि 18.5.15 को  
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18.5.15  
न्यायालय मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अर्जित धारा 50 म०प्र० भू-रा०  
सहित 1959 बिहूद राजस्थान निरीक्षण मण्डल  
उत्तरपुर तहसील जिला उत्तरपुर म०प्र० के प्र.क्र.  
19/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दि०  
22/12/2014 के बिहूद ।

WS  
मुकेश मासि

3



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1114-एक/2015

जिला छतरपुर

हरप्रसाद विरूद्ध रामबाई व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p></p> <p> (आर.क. जैन) सदस्य</p> <p>18/2/2019</p>